
संक्षिप्त कार्य विवरण
पुस्तिका



प्रथम विधान सभा

दिनांक 14 दिसंबर, 2000 से 19 दिसंबर, 2000

प्रथम सत्र

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

गुरुवार, दिनांक 14 दिसंबर, 2000 [अग्रहायण 23, 1922]

(विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई)

[सामयिक अध्यक्ष (श्री महेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए]

1. मौन धारण करना

छत्तीसगढ़ विधान सभा की पहली बैठक के अवसर पर सर्वप्रथम सदस्यगणों द्वारा एक मिनट के लिये मौन धारण किया गया.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा के अधिसूचित सदस्यों की सूची का पटल पर रखा जाना.

सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जिसमें मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों की सूची दी गई है, सभा पटल पर रखी गई.

3. सभापति तालिका की घोषणा

सामयिक अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री गणेशशंकर बाजपेयी
2. श्री बनवारीलाल अग्रवाल
3. श्री धनेन्द्र साहू
4. श्री रामविचार नेताम
5. श्री डोमेन्द्र भेडिया

4. शपथ/प्रतिज्ञान

माननीय मुख्यमंत्री सदन के सदस्य नहीं होने के कारण उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की. विपक्ष के नेता श्री नंदकुमार साय ने सर्वप्रथम शपथ ली उनके बाद माननीय मंत्रियों एवं सदस्यगणों द्वारा शपथ ग्रहण की गई. सदस्यों द्वारा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गए तथा माननीय सदस्यों द्वारा सभा में अपना स्थान ग्रहण किया गया.

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित क्रम में शपथ ग्रहण की गई :-

नेता प्रतिपक्ष

- (1) श्री नंदकुमार साय

मंत्री मंडल के सदस्य

- (1) श्री रामचंद्र, 2 बैकुण्ठपुर
- (2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, 9 पिलखा (अ.ज.जा.)
- (3) श्री चनेशराम राठिया, 15 धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)
- (4) श्री धनेश पाटिला, 87 डोंगरगढ़ (अ.जा.)
- (5) श्री नंदकुमार पटेल, 18 खरसिया
- (6) श्री रविन्द्र चौबे, 74 साजा
- (7) श्री महेन्द्र कर्मा, 69 दंतेवाड़ा (अ.ज.जा.)
- (8) श्री कृष्ण कुमार, 17 रायगढ़
- (9) श्री सत्यनारायण शर्मा, 43 मंदिर हसौद
- (10) श्री माधव सिंह ध्रुव, 57 सिहावा (अ.ज.जा.)
- (11) श्री रामपुकार सिंह, 14 पत्यलगाँव (अ.ज.जा.)
- (12) श्रीमती गीतादेवी सिंह, 85 डोंगरगांव
- (13) श्री अमितेश शुक्ल, 51 राजिम
- (14) श्री डेरहूप्रसाद धृतलहरे, 72 मारो (अ.जा.)
- (15) श्री भूपेश बघेल, 78 पाटन
- (16) श्री शंकर सोढी, 64 कोण्डागांव (अ.ज.जा.)
- (17) मोहम्मद अकबर, 89 वीरेन्द्र नगर
- (18) श्री विधान मिश्रा, 45 धरसींवा
- (19) श्री मनोज सिंह मंडावी, 60 भानुप्रतापपुर (अ.ज.जा.)
- (20) श्री बदरुद्दीन कुरैशी, 77 भिलाई
- (21) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, 53 सरायपाली

(22) श्री तुलेश्वर सिंह, 3 प्रेमनगर (अ.ज.जा)

(23) श्री ताम्रध्वज साहू, 75 धमदा

सभापति तालिका के सदस्य

(1) श्री गणेशशंकर, 47 बलौदा बाजार

(2) श्री बनवारीलाल, 22 कटघोरा

(3) श्री धनेन्द्र साहू, 42 अभनपुर

(4) श्री रामविचार नेताम, 5 पाल (अ.ज.जा.)

(5) श्री डोमेन्द्र भेडिया, 82 डौंडीलोहारा (अ.ज.जा.)

निर्वाचन क्षेत्र, क्रमानुसार सदस्य गण

(1) श्री गुलाब, 1 मनेन्द्रगढ़ (अ.ज.जा.)

(2) श्री भानुप्रताप, 4 सूरजपुर (अ.ज.जा.)

(3) श्री सोहनलाल, 6 सामरी (अ.ज.जा.)

(4) श्री रामदेव, 7 लुण्डा (अ.ज.जा.)

(5) श्री मदन गोपाल सिंह, 9 अंबिकापुर (अ.ज.जा.)

(6) प्रोफेसर गोपाल राम, 10 सीतापुर (अ.ज.जा.)

(7) श्री गणेशराम भगत, 11 बगीचा (अ.ज.जा.)

(8) श्री विक्रम भगत, 12 जशपुर (अ.ज.जा.)

(9) श्री प्रेमसिंह सिदार, 16 लैलुगा (अ.ज.जा.)

(10) डॉ. शक्राजीत नायक, 19 सरिया

(11) डॉ. छबिलाल रात्रे, 20 सारंगगढ़ (अ.जा.)

(12) श्री ननकीराम कंवर, 21 रामपुर (अ.ज.जा.)

(13) श्री हीरासिंह मरकाम, 23 तानाखार (अ.ज.जा.)

- (14) श्री रामदयाल उइके, 24 मरवाही (अ.ज.जा.)
- (15) श्री राजेन्द्र शुक्ल, 25 कोटा
- (16) श्री धर्मजीत सिंह, 26 लोरमी
- (17) श्री विक्रम मोहले, 27 मुंगेली (अ.जा.)
- (18) श्री चौबादास खांडेकर, 28 जरहागांव (अ.जा.)
- (19) श्री जगजीत सिंह मक्कड़, 29 जबलपुर
- (20) श्री अमर अग्रवाल, 30 बिलासपुर
- (21) श्री धर्म कौशिक, 31 बिल्हा
- (22) श्री मदनसिंह डहरिया, 32 मस्तुरी, (अ.जा.)
- (23) इंजी. रामेश्वर खरे, 33 सीपत
- (24) श्री छतराम देवांगन, 34 अकलतरा
- (25) श्री दाऊराम रत्नाकर, 35 पामगढ़
- (26) श्री नारायण प्रसाद चंदेल, 36 चांपा
- (27) श्री मेघाराम साहू, 37 सक्ती
- (28) श्री चैनसिंह सामले, 38 मालखरौदा (अ.जा.)
- (29) श्रीमती रानी रत्नमाला देवी (रानी माँ) 39, चंद्रपुर
- (30) श्री तरुण प्रसाद चटर्जी, 41 रायपुर-ग्रामीण
- (31) श्री गंगूराम बघेल, 44 आरंग (अ.जा.)
- (32) श्री शिवरतन शर्मा, 46 भाटापारा
- (33) डॉ. रामलाल भारद्वाज, 48 पलारी (अ.जा.)
- (34) श्री गौरीशंकर अग्रवाल, 49, कसडोल
- (35) डॉ. हरिदास भारद्वाज, 50 भटगांव (अ.जा.)

- (36) श्री चरणसिंह मांडी, 52 बिन्द्रानवागढ़ (अ.ज.जा.)
- (37) श्री परेश बागबाहरा, 55 खल्लारी
- (38) श्री अग्नि चंद्राकर, 56 महासमुन्द
- (39) श्री अजय चंद्राकर, 58 कुरूद
- (40) श्री हर्षद मेहता, 59 धमतरी
- (41) श्रीमती श्यामा धुवा, 61 कांकेर (अ.ज.जा.)
- (42) श्री मन्तुराम पवार, 62 नारायणपुर (अ.ज.जा.)
- (43) श्रीमती फुलोदेवी नेताम, 63 केशकाल (अ.ज.जा.)
- (44) श्री अन्तुराम कश्यप, 65 भानपुरी, (अ.ज.जा.)
- (45) श्री झितरूराम बघेल, 66 जगदलपुर (अ.ज.जा.)
- (46) श्री भुरसूराम नाग, 67 केशलूर (अ.ज.जा.)
- (47) श्रीमती प्रतिभा शाह, 68 चित्रकोट (अ.ज.जा.)
- (48) श्री लखमा, 70 कोन्टा (अ.ज.जा.)
- (49) श्री राजेन्द्र पामभोई, 71 बीजापुर (अ.ज.जा.)
- (50) श्री महेश तिवारी, 73 बेमेतरा
- (51) श्री हेमचन्द्र यादव, 75 दुर्ग
- (52) श्री घनाराम साहू, 79 गुण्डरदेही
- (53) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, 80 खेरथा
- (54) श्री लोकेन्द्र यादव, 81 बालौद
- (55) श्री संजीव शाह, 83 चौकी (अ.ज.जा.)
- (56) श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया, 84 खुजी
- (57) श्री लीलाराम भोजवानी, 86 राजनांदगांव

(58) श्री देवव्रत सिंह, 88 खैरागढ़

(59) श्री योगेश्वर राज सिंह, 90 कवर्धा

(अपराह्न 12.05 बजे से 2.30 तक अंतराल)

[सामयिक अध्यक्ष (श्री महेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए]

(5) अध्यक्ष का निर्वाचन

1. श्री रविन्द्र चौबे, मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया "श्री राजेन्द्र शुक्ल, जो इस विधान सभा के सदस्य है, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये".

श्री नंदकुमार पटेल, मंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

2. डॉ. प्रेमसाय सिंह, मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

"श्री राजेन्द्र शुक्ल, जो इस विधान सभा के सदस्य है, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये".

श्री मनोज मंडावी, राज्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

3. श्री भूपेश बघेल, राज्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

"श्री राजेन्द्र शुक्ल जो इस विधान सभा के सदस्य है, को विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये".

श्री धनेश पटिला, मंत्री, प्रस्ताव का समर्थन लिया गया.

4. श्री सत्यनारायण शर्मा, मंत्री द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

"श्री राजेन्द्र शुक्ल, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं जो विधान सभा का अध्यक्ष चुना जाये".

श्री भानुप्रताप, सदस्य, प्रस्ताव का समर्थन किया गया

(प्रस्ताव सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ)

(श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये).

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) आसंदी पर पीठासीन हुए.]

6. मुख्य प्रतिपक्ष दल तथा नेता प्रतिपक्ष की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न घोषणा की गई :-

"वर्तमान विधान सभा के अन्दर प्रतिपक्ष दलों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है तथा गणपूर्ति के लिये

आवश्यक सदस्य संख्या में है. इसलिये भारतीय जनता पार्टी को सदन का मुख्य प्रतिपक्ष दल और उनके नेता श्री नंदकुमार साय को प्रतिपक्ष का नेता घोषित किया जाता है”.

7. कार्य मंत्रणा समिति के लिए सदस्यों का नामनिर्देशन

मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा -16 के द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए भी लागू की गई है, के नियम 203 के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2000-2001 की अवधि में सेवा करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है :-

1. श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री
2. श्री नंदकुमार साय, नेता प्रतिपक्ष
3. श्री रामचंद्र, वित्त मंत्री
4. श्री धनेश पटिला, जल संसाधन मंत्री
5. श्री रविन्द्र चौबे, लोक निर्माण मंत्री
6. श्री महेन्द्र कर्मा, उद्योग मंत्री
7. श्री सत्यनारायण शर्मा, शिक्षा मंत्री
8. श्री नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री
9. श्री भूपेश बघेल, राज्यमंत्री, राजस्व (स्वतंत्र प्रभार)
10. श्री बदरुद्दीन कुरैशी, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन
11. श्री ननकीराम कँवर, सदस्य, विधान सभा
12. श्री हीरा सिंह मरकाम, सदस्य, विधान सभा
13. श्री दाडराम रत्नाकर, सदस्य, विधान सभा
14. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा
15. श्री तरुण चटर्जी, सदस्य विधान सभा.
16. श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, अध्यक्ष, विधान सभा उक्त समिति के पदेन सभापति होंगे.

4.06 बजे सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2000 (अग्रहायण 23 शक संवत् 1922) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2001 (अग्रहायण, 24, 1922)

(विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

1. महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.

महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन चल समारोह के साथ सभा भवन में हुआ.

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया,

महामहिम राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ प्रस्थान किया.

2. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री गणेशशंकर बाजपेयी सदस्य द्वारा निम्नलिखित कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

“महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं”.

श्री डोमेन्द्र भेडिया : सदस्य द्वारा इसका समर्थन किया गया.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कार्य मंत्रणा समिति में लिये गये निर्णय अनुसार चर्चा के लिये दिनांक 16 एवं 19 दिसंबर, 2000 का समय निर्धारित करने तथा उक्त प्रस्ताव पर संशोधन दिनांक 15 दिसंबर, 2000 को सायं 5.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में प्राप्त करने की घोषणा की.

3. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 15 दिसंबर, 2000 में निम्नलिखित सिफारिश दी गई -

1. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन में संशोधन शुक्रवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2000 को सायं 5.00 बजे तक लिये जायेंगे.
2. सभा की बैठक शनिवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2000 को भी होगी.

समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन पर दिनांक 16 एवं 19 दिसंबर, 2000 को चर्चा होगी.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई है, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4. सदन समिति का नामनिर्देशन

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2000-2001 के लिये करने हेतु सदन समिति के गठन की घोषणा की -

1. श्री गणेशशंकर बाजपेयी
2. श्री चैनसिंह सामले
3. श्री मन्तराम पवार
4. श्री अजय चंद्राकर
5. श्री गंगूराम बघेल
6. श्री दाऊराम रत्नाकर
7. श्री हीरासिंह मरकाम

श्री गणेशशंकर बाजपेयी, सदस्य इस समिति के सभापति तथा इसमें सचिव, संसदीय कार्य विभाग तथा सचिव लोक निर्माण विभाग भी उपस्थित रहेंगे।

11.32 बजे सदन की कार्यवाही शनिवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2000 के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शनिवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2000 (अग्रहायण 25, 1922)

(विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये.]

1. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि - राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में 28 सदस्यों से संशोधन की सूचनायें प्राप्त हुईं उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्रह्य कर दिया गया है निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
1.	श्री दाऊराम रत्नाकर	8
2.	श्री अमर अग्रवाल	5
3.	श्री गंगूराम बघेल	23
4.	श्री मदनसिंह डहरिया	13
5.	श्री परेश बागबाहरा	6
6.	श्री अजय चंद्राकर	27
7.	श्री रामदयाल उइके	3
8.	श्री धरम कौशिक	18
9.	श्रीमती श्यामा धुवा	27
10.	श्री महेश तिवारी	8
11.	श्री हीरासिंह मरकाम	7
12.	डॉ. शक्राजीत नायक	11
13.	श्री लोकेन्द्र यादव	21
14.	श्री लीलाराम भोजवानी	26
15.	श्री जगजीतसिंह मक्कड़	10
16.	श्री प्रेमसिंह सिदार	14

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
17.	श्री शिवरतन शर्मा	13
18.	श्री छतराम देवांगन	34
19.	श्री हेमचंद यादव	9
20.	श्री विक्रम मोहले	31
21.	श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	22
22.	श्री नारायण प्रसाद चंदेल	14
23.	डॉ. हरिदास भारद्वाज	18
24.	श्री गौरीशंकर अग्रवाल	38

श्री गणेशकर बाजपेयी, सदस्य ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ की.

इसके पश्चात् निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री महेश तिवारी (बेमेतरा)

[सभापति (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुये]

2. श्री हीरासिंह मरकाम (तानाखार)
3. श्री डोमेन्द्र भेडिया (डौंडीलोहारा)
4. श्री गंगूराम बघेल (आरंग)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

5. श्री धर्मजीत सिंह (लोहरी)
6. डॉ. शक्राजीत नायक (आरंग)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र शुक्ल) पीठासीन हुये]

2. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः) -

7. श्री दाऊराम रत्नाकर (पामगढ़)

[सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुये.]

8. श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़)

9. श्री लीलाराम भोजवानी (राजनांदगांव)

10. प्रो. गोपालराम (सीतापुर)

11. श्री मन्तूराम पवार (नारायणपुर)

12. श्री अजय चन्द्राकर (कुरुद)

13. श्री अग्नि चन्द्राकर (महासमुन्द)

14. श्री प्रेमसिंह सिदार (लैलूगा)

[मा. अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र शुक्ल) पीठासीन हुये]

15. श्री हर्षद मेहता (धमतरी)

16. श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा)

17. श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर (खैरथा)

[मा. सभापति (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुये]

18. श्री छतराम देवांगन (अकलतरा)

19. श्रीमती फूलोदेवी नेताम (केशकाल)

20. श्री नारायण प्रसाद चंदेल (चांपा)

21. श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुए]

3. पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति का नामनिर्देशन

अध्यक्ष महोदय द्वारा विधान सभा की पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के गठन की निम्नानुसार घोषणा की :-
सभापति-

1. श्री राजेन्द्र शकल, अध्यक्ष विधान सभा

सदस्य-

2. श्री बबन प्रसाद मिश्रा, नवभारत, रायपुर
3. श्री ललित सुरजन देशबंधु, रायपुर
4. श्री विजय शंकर मेहता, भास्कर, रायपुर
5. श्री रमेश नैय्यर, हितवाद, रायपुर
6. श्री गोविंदलाल वोरा, अमृत संदेश, रायपुर
7. श्री कौशल किशोर मिश्रा, तरुण छत्तीसगढ़, रायपुर
8. श्री श्रीधरन पिल्ले, यू.एन.आई., रायपुर
9. श्री विष्णु सिन्हा अग्रदुत, रायपुर
10. श्री बजरंग केडिया, नवभारत, बिलासपुर
11. श्री नथमल शर्मा देशबंधु, बिलासपुर
12. श्री प्राण चड्ढा, भास्कर, बिलासपुर
13. श्री गुरुदेव कश्यप, रायगढ़ संदेश, रायगढ़
14. श्री प्रकाश होता, पी.टी.आई. रायपुर
15. श्री शरद कोठारी, सबेरा संकेत, राजनांदगांव
16. श्री दीपक लाखोटिया, प्रखर समाचार, धमतरी
17. श्री तुषार कांति बोस, दंडकारण्य, जगदलपुर
18. श्री सुशील शर्मा, बस्तर बंधु, कांकेर

19. श्री हरि ठाकुर, राष्ट्रीय हिन्दी मेल, रायपुर
20. श्री बैकुंठ प्राणिग्रही, दूरदर्शन रायपुर एवं अन्य मीडिया
21. श्री विनोद नागर आकाशवाणी, रायपुर
22. भी सुभाष मिश्र, जनसंपर्क, रायपुर
23. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, पदेन सचिव

विशेष आमंत्रित-

1. श्री अशोक अग्रवाल, लोकस्वर, बिलासपुर

4. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

21. श्री राजेन्द्र पामभोई (बीजापुर)
22. श्री जगजीत सिंह मक्कड़ (तखतपुर)
23. डॉ० हरिदास भारद्वाज (भटगांव)
24. श्री लखमा (कोन्टा)
25. श्री परेश बागबाहरा (खल्लारी)

(चर्चा अपूर्ण)

रात्रि 8.36 बजे सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 25, 1922) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई .

मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 28, 1922)

(विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई)

[अध्यक्ष महोदय (राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

1. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया -

(क) श्री बनवारीलाल अग्रवाल (कटघोरा)

2. औचित्य का प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री नन्दकुमार पटेल, गृह मंत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान बार-बार श्री दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, जो संसदीय परंपराओं के लिये अनुचित है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई :

सदन में यदाकदा जब भी कुछ चर्चा होती है और उस समय यदि अत्यन्त आवश्यक होता है तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप किया जा सकता है. परन्तु हर बार बोलते हुए सदस्य के साथ में चाहे इधर के वक्ता बोलते हों या उधर के वक्ता बोलते हों ये छेड़छाड़ संसदीय कार्य को चलाने के लिए, विधान सभा की कार्यवाही को चलाने के लिए, न तो सम्यक है और न इसकी वहां पर व्यवस्था है. ये जरूर देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति यहां पर उपस्थित है या अनुपस्थित है और उसके संबंध में कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा है. मैं यहां इस मामले में यह महसूस करता हूं कि आरोप व्यक्तिगत दिग्विजय सिंह जी के ऊपर नहीं है. अगर दिग्विजय सिंह जी के ऊपर आरोप होता तो मैं उसको विलोपित कर देता और स्वयं टोकता. ये सरकार के ऊपर आरोप है और सरकार के ऊपर आरोप लगाये जा सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है.

श्री ननकीराम कंवर, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री विधान सभा के सदस्य नहीं है इसलिये उन्हें बोलने नहीं दिया जाना चाहिए. क्योंकि एक सदस्य (श्री बृजमोहन अग्रवाल) को बोलने नहीं दिया गया है.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई :-

श्री ननकीराम कंवर ने जो मुद्दा उठाया है, उसमें यह कहना चाहता हूं कि-संवैधानिक व्याख्या है. एक नहीं और केवल अपनी विधान सभा में नहीं अनेकों विधान सभा में 6 महीने के लिये बिना सदन के सदस्य हुये कोई भी व्यक्ति जो मंत्रिमंडल में हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, मध्यप्रदेश विधान सभा में श्री इब्राहीम कुरैशी साहब एम.एल.ए. नहीं थे. मत देने का उनको अधिकार नहीं था, लेकिन कोई विधान सभा सदस्य चाहे किसी भी पार्टी के हों, जब निर्वाचित होते हैं हमारे यहां पुराने मध्यप्रदेश में यह हो चुका है, चन्द्रमोहन जी जबलपुर से चुनकर आये थे, उन्होंने बहुत लम्बे अर्से तक कुछ कारणों से शपथ ग्रहण नहीं की थी, शपथ ग्रहण नहीं करने की वजह से सदन में बोलते नहीं थे तो विधान सभा सदस्यों के लिए यह नियम जरूर है. शपथ ग्रहण के बाद वे बोल सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण अगर नहीं की है तो विधान सभा सदस्य की सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती रहेंगी वेतन भत्ता, आने जाने का भत्ता या अन्य जो विधायक के जो प्रिविलेज होंगे वह सब प्राप्त होंगे, खाली सदन में बोल नहीं पाएंगे माननीय बृजमोहन जी की जब बात आयी उस पर मैंने बात कही. माननीय मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो वह विधान सभा के सदस्य तो नहीं रहेंगे, किन्तु मंत्री होने के नाते एकजीक्यूटिव के प्रमुख होने के नाते उन्हें सदन को सम्बोधित करने का, बोलने का अधिकार है.

4. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

2. श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर)

[सभापति (श्री डोमेन्द्र भेडिया) पीठासीन हुये]

3. श्री ननकीराम कंवर (रायपुर)

4. श्री धरम कौशिक (बिल्हा)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

5. शपथ/प्रतिज्ञान

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण की गई तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर अपना स्थान ग्रहण किया गया।

6. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

5. श्री तरूण चटर्जी (रायपुर ग्रामीण)
6. श्री योगेश्वर राज सिंह (कवर्धा)
7. श्री रामविचार नेताम (पाल)
8. श्री घनाराम साहू (गुण्डरदेही)
9. श्री गौरीशंकर अग्रवाल (कसडोल)
10. श्री गुलाब (मनेन्द्रगढ़)
11. श्री मदन सिंह डहरिया (मस्तुरी)
12. श्री रामदेव (लुण्ड्रा)
13. श्री रामदयाल उइके (मरवाही)

[सभापति महोदय (श्री गणेशशंकर बाजपेयी) पीठासीन हुये]

14. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया (खुज्जी)
15. डॉ. रामलाल भारद्वाज (पलारी)
16. श्रीमती श्यामा ध्रुवा (कांकेर)
17. श्री चरण सिंह मांझी (बिन्द्रानवागढ़)

[अध्यक्ष महोदय (श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल) पीठासीन हुये]

7. नियम समिति एवं याचिका समिति के लिए नामनिर्देशन नियम समिति

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, जो मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 16 के द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए लागू की गई है, के नियम 231 के उपनियम (2) के अधीन नियम समिति के लिये माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2000-2001 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री राजेन्द्र शुक्ल, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा	सभापति
2. माननीय विधि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन	पदेन सदस्य
3. श्री अग्नि चंद्राकर	सदस्य
4. श्री योगेश्वर राज सिंह	सदस्य
5. श्री गुलाब	सदस्य
6. डॉ. छबिलाल रात्रे	सदस्य
7. श्री ननकीराम कंवर	सदस्य
8. श्री अमर अग्रवाल	सदस्य
9. श्री रजिन्दरपाल सिंह भाटिया	सदस्य

याचिका समिति

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 16 के द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए भी लागू की गई है के नियम 213 के अधीन याचिका समिति के लिये माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2000-2001 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

1. श्री देवव्रत सिंह,	सभापति
2. श्री धर्मजीत सिंह,	सदस्य
3. श्री प्रतिभा शाह	सदस्य
4. प्रोफेसर गोपाल राम	सदस्य
5. श्री लखमा	सदस्य
6. श्री धर्म कौशिक	सदस्य
7. श्री शिवरतन शर्मा	सदस्य

8. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव तथा संशोधनों पर चर्चा (क्रमशः)

18. श्री नंदकुमार साय	(नेता प्रतिपक्ष)
-----------------------	------------------

9. औचित्य का प्रश्न तथा व्यवस्था

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि - मध्यप्रदेश की विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया तथा नियम है उनमें हम यहां जो एजेन्डा तय करते हैं उसमें तीसरे क्रम पर मंत्रियों का परिचय सदन में पहली बार होना चाहिए, जो हमारी कार्यसूची बन गयी, उसमें मंत्रियों के परिचय वाला विषय इसमें नहीं रखा गया है. पहले शपथ या प्रतिज्ञान है, राज्यपाल का अभिभाषण है. अगर आप उचित समझे तो मंत्रियों का परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी अभी करवा दें तो ज्यादा उचित होगा दूसरा विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी भी विधान सभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति उस राज्य का नागरिक होना चाहिए. माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक नहीं है, मध्यप्रदेश राज्य के नागरिक है, क्योंकि वे छत्तीसगढ़ राज्य की विधायक बनने की अर्हता नहीं रखते हैं ऐसी स्थितियों में क्या सदन में उपस्थित होकर यहां पर भाषण दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई कि -

श्री बृजमोहन जी अग्रवाल ने दो बिन्दुओं पर आपत्ति की है, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है. पहला तो यह कि जो सदन के नेता हैं मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री, वे यदि बैठे हैं, तो मंत्रिमंडल के सदस्यों का परिचय कराये. ये जो प्रोवीजंस होते हैं, प्रावधान होते हैं, कुछ अनिवार्य मूलक होते हैं, अपरिहार्य होते हैं और कुछ परंपरागत होते हैं. सामान्य होते हैं. उस दृष्टि से हमारी नियमावली में जो प्रावधान है उस प्रावधान को शिथिल करने का अधिकार विधान सभा अध्यक्ष को है. कुछ व्यक्ति रूप से शिथिल होते हैं, कुछ मान लिए जाते हैं. परिचय करा देना कोई बड़ी बात नहीं है. प्रतिष्ठा का भी सवाल नहीं है. नहीं हुआ, तो कोई संवैधानिक भूल हो गयी, चूक हो गयी, ऐसा भी नहीं है. यह कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं अभी भी सदन यह चाहता है, सहमत है कि विधान सभा में परिचय कराना जरूरी है, तो "गिरा अरथ जल भिन्न सम, कहियत भिन्न न भिन्न बंदऊ सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न" तो आप सब इतने अभिन्न हैं, एक-दूसरे से इतने परिचित हैं सरकार को चलते हुए, मंत्रिमंडल को कार्य करते हुये भी महीने, डेढ़ महीने का समय बीत चुका है मैं ऐसा करूंगा, एक पत्रक सभी माननीय विधान सभा सदस्यों को जारी करा दूंगा.

श्री अजीत जोगी, मुख्यमंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया.

(मत लेने के पश्चात्)

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुये.

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र के संपादित कार्यों की जानकारी देते हुए विधान सभा का कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों, विधान सभा सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारियों, राजकुमार कॉलेज, प्रशासन, नगर-निगम, रायपुर तथा पत्रकारों के प्रति आभार व्यक्त किया.

सदन में राष्ट्रगीत "जन गण मन" की धुन बजी.

सायं 6.43 मिनट पर विधान सभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की गई.

परिशिष्ट - "क"

बैठकों की सामान्य सूची

दिसंबर 2000 सत्र

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | गुरुवार, दिनांक 14 दिसंबर, 2000 | (1) शपथ ग्रहण
(2) अध्यक्ष का निर्वाचन |
| 2. | शुक्रवार, दिनांक 15 दिसंबर, 2000 | (1) यदि, कोई सदस्य शपथ न ले सकें हों, तो उनका शपथ ग्रहण.
(2) राज्यपाल का अभिभाषण
(3) राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव |
| 3. | शनिवार, दिनांक 16 दिसंबर, 2000 | (1) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा |
| 4. | मंगलवार, दिनांक 19 दिसंबर, 2000 | (1) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा |

संक्षिप्त कार्य विवरण
पुस्तिका

॥दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 से 19 दिसम्बर, 2000॥

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ क्रमांक	पंक्ति क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
2	4	श्री धनेश पाटिला	श्री धनेश पाटिला
4	5	श्री चौबादास	श्री चौबादास
4	8	श्री धर्म कौशिक	श्री धरम कौशिक
5	5	श्री हर्षद मेहता	श्री हरषद मेहता
6	14	लिया	किया
12	8	श्री मन्तुराम	श्री मन्तुराम
12	12	श्री हर्षद मेहता	श्री हरषद मेहता
12	16	श्रीमती फुलोदेवी	श्रीमती फुलोदेवी
14	21	॥क॥	॥।॥
16	11	॥मस्तुरी॥	॥मस्तुरी॥
17	18	श्री प्रतिभा शाह	श्रीमती प्रतिभा शाह
17	21	श्री धर्म कौशिक	श्री धरम कौशिक